न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 32/2020 (2020/00349) दर्ज दिनांक 07.08.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. गिरधारी लाल पूर्बिया पिता जीतू निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्यामूदेवी पूर्बिया पत्नि गिरधारीलाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. जगरूप पूर्बिया पिता उदा पूर्बिया निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. दलीचंद पूर्बिया पिता उदा पूर्बिया निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. बालूराम पूर्बिया पिता उदा पूर्बिया निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भवानी शंकर पूर्बिया पिता जीतू पूर्बिया निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——विपक्षीगण

उपस्थित :— प्रार्थीगण अधिवक्ता — श्री राजमल तिवाडी

विपक्षी सं. 01 लगायत 03 — श्री सुनिल कुमार जैन

विपक्षी सं. 04 — एकपक्षीय

विपक्षी सं. 05 — पेरोकार सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 23.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर उसमें अंकित किया कि ग्राम पोटलां में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 5 के खातेदारी व आधिपत्य की आराजी संख्या 7540 रकबा 0.68 हे0, 7541 रकबा 0.64 हे0, 7542 रकबा 0.40 हे0 कुल किता 03 योग रकबा 1.72 हे0 कृषि भूमि खाता संख्या 283 संवत् 2070 से 2073 पर स्थित है।

विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी की आराजी संख्या 7543 रकबा 1.35 हे0 स्थित हैं तथा बिलानाम आराजी संख्या 7542/7988 रकबा 0.10 हे0 स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 7542 रकबा 0.40 हे0 में संज, बैल इत्यिादी से आवागमन आम रास्ते से होते हुए विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 7543 के पष्चिमी मेड़ पर बने डोट लाईन के रास्ते से होते हुए सरकारी आराजी संख्या 7542/7988 के पश्चिमी मेड़ पर होते हुए सदैव से आवागमन करते आ रहे है। मौके पर यह रास्ता 12 फिट का है। विपक्षीगण आराजी संख्या 7543 में बने डोट लाईन के रास्ते से आवगमन करने में लड़ाई –झगड़ा व बाधा पैदा करते है जिससे आराजी संख्या 7543 की पश्चिमी मेड़ से 12 फिट रास्ता दिलाया जाकर इस रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज कराया जाना आवष्यक है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता नजदीक व सुगम रास्ता है जिसका नजरी नक्शा पेश है।

अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पोटलां की आराजी संख्या 7543 में से 12 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर बिलानाम रास्ता दर्ज कराया जावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये । विपक्षी सं. 01 लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार जैन ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। विपक्षी सं. 04 बाद तामील उपरान्त अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी सं. 05 पेराकार सरकार उपस्थित। विपक्षी सं. 01 लगायत 03 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा विपक्षीगण ने [illegible] किया कि जवाबदाता की आराजी सं. 7543 में से प्रार्थीगण नहीं आते–जाते व [illegible] कोई रास्ता है। विपक्षी जवाबदाता की आराजी सं. 7543 के [illegible] आराजी सं. 7544 व 7545 स्थित है जिनके खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की आराजियात् में आने–जाने का रास्ता अलग से मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित होने से काबिल खारिज होने योग्य है अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

इस प्रकरण में तहसीलदार सहाडा के माध्यम से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई जिसमें यह अंकन किया गया कि आराजी सं. 7543 में मौके पर पगडंडीनुमा रास्ता बना हुआ है तथा राजस्व नक्शे में भी डोटेड दर्शा रखा है, उक्त डोटेट रास्ते को छड़ियां डालकर बंद कर रखा है, मौके पर उक्त आराजियात् में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते हेतु आराजी सं. 7543 रकबा 1.35 हे. में से 0.0250 हे. तथा बिलानाम आराजी सं. 7542/7988 में से 0.01 हे. भूमि उपयोग में ली जा रही है। इस प्रकरण में विपक्षी सं. 01 लगायत 03 के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10. 2020 को प्रस्तुत कर उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस के दौरान यह बताया कि विपक्षीगण अपनी आराजी सं. 7543 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 12 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को देने हेतु सहमत है लेकिन विपक्षी सं. 01 लगायत 03 ने अपनी आराजी सं. 7543 में मौके पर चार खेत बना रखे हैं जिससे विपक्षीगण को प्रार्थीगण की आराजी सं. 7541 की दक्षिणी मेड के सहारे 12 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण व विपक्षीगण को अपनी–अपनी आराजियात् में आवागमन करने में सुविधा रहेगी। विपक्षी सं. 01 लगायत 03 अपनी आराजी सं. 7543 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे जो 12 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को दे रहे हैं उसकी प्रतिकर राशि विपक्षी सं. 01 लगायत 03 प्रार्थीगण से नहीं लेना चाहतें हैं और प्रार्थीगण अपनी आराजी सं. 7541 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 12 फिट चौडा रास्ता विपक्षी सं. 01 लगायत 03 अपनी आराजी सं. 7543 में बने चार खेतों में से दो खेतों में आवागमन के लिये दे रहे हैं उसकी प्रतिकर राशि भी प्रार्थीगण को विपक्षी सं. 01 लगायत 03 से नहीं दिलायी जाये अर्थात रास्ते की भूमि के बदले रास्ते की भूमि का समायोजन किया जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया लेकिन विपक्षी सं. 01 लगायत 03 को भी आवागमन के लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक है जिससे विपक्षी सं. 01 लगायत 03 को भी प्रार्थीगण की आराजी सं. 7541 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 12 फिट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 32/2020 (2020/00349)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाडा की सीमा में स्थित आराजी सं. 7543 की पश्चिमी मेड व आराजी सं. 7541 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे में अंकित करते हुए रास्ते के भूभाग को आराजी सं. 7543 व 7541 के भूभाग में से कम करते हुए रास्ते के भूभाग को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज अभिलेख किया जावे तथा उक्त दोनों रास्ते के भूभाग की प्रतिकर राशि किसी भी पक्ष को एक–दूसरे से अदा नहीं करावें। प्रार्थीगण को बिलानाम आराजी सं. 7542/7988 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 12 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध कराते हुए उसका अंकन राजस्व नक्शे व रेकार्ड में बिलानाम रास्ते के रुप में किया जावे। प्रार्थीगण को बिलानाम आराजी सं. 7542/7988 में से देय रास्ते के भूभाग 0.01 हे. भूमि की प्रतिकर राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.01 हे. की मालियत से दुगुनी राशि राजकोष में जमा की जावे। तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर उक्त पारित आदेश की पालना उक्तानुसार राजस्व नक्शे व रेकार्ड में सुनिश्चित् करें।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

आदेश आज दिनांक 23.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner